


दिनांक... 5-1-22... का परा हाकि

5-1-22 पश्चावली पैशा हु टी वकील वादी अनुपस्थित।
बार-बार आवाज दिलवाएँ गयी। बार-
बार आवाज दिलवाने के बावजूद वादी
व वकील वादी में से कोई उपस्थित नहीं।
अतः अदम हाजरी। अदम फँसी में वादी
का वाद खारिज किया जाता है।
पश्चावली फैसल शुमार लेकर
मम्बर से कम हो।


उपखण्ड अधिकारी
रूपनाड (अपने)

